वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (सीएक्यूएम)

सन्दर्भ: वायु गुणवत्ता आयोग ने एनसीआर क्षेत्र में बिगड़ती वायु गुणवत्ता को संबोधित करने के लिए 8-सूत्रीय कार्य योजना के साथ चरण-IV GRAP (Graded Rapid Action Plan) शुरू किया है।

- वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (सीएक्यूएम) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और आसपास के क्षेत्रों के लिए वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग, अधिनियम 2021 के तहत बनाया गया एक वैधानिक निकाय है।
- इस अधिनियम ने पहले के अध्यादेश का स्थान ले लिया जिसे अप्रैल 2021 में प्रख्यापित किया गया था और अगस्त 2021 में राष्ट्रपति की सहमति प्राप्त हुई थी।
- आयोग का प्राथमिक लक्ष्य एनसीआर (राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र) और इसके आसपास के क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता के मुद्दों के समन्वय, अनुसंधान, पहचान और समाधान को बढ़ाना है।
- "आसन्न क्षेत्रों" में एनसीआर के पड़ोसी राज्यों जैसे पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और राजस्थान के क्षेत्र शामिल हैं।
- सीएक्यूएम की स्थापना से पहले, दिल्ली-एनसीआर में वायु गुणवत्ता का प्रबंधन केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी), राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, एनसीआर के पर्यावरण प्रदूषण (रोकथाम और नियंत्रण) प्राधिकरण (ईपीसीए) और अन्य विभिन्न संस्थाओं द्वारा किया जाता था। इन संस्थाओं की निगरानी केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के साथ-साथ सुप्रीम कोर्ट द्वारा की जाती थी।
- यह अधिनियम इन निकायों को सीएक्यूएम के तहत समेकित करता है, जिससे दिल्ली और एनसीआर में वायु गुणवत्ता की सुरक्षा और सुधार के लिए निर्णय लेने और आदेश जारी करने के लिए जिम्मेदार एक व्यापक प्राधिकरण का निर्माण होता है।
- इसका उद्देश्य वायु गुणवत्ता प्रबंधन की दक्षता और समन्वय को बढ़ाना तथा सुप्रीम कोर्ट की निरंतर निगरानी की आवश्यकता को कम करना है।
- सीएक्यूएम ने ईपीसीए का स्थान लिया है, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने नियुक्त किया था और इसने 22 वर्षों तक अपनी सेवा दी थी। इस समय केंद्र ने ईपीसीए को निरर्थक और अप्रभावी माना है। ईपीसीए के विपरीत, सीएक्यूएम में दंडात्मक प्रावधान भी हैं।
- वर्तमान प्रावधान के तहत आयोग के आदेशों का अनुपालन न करने पर पांच वर्ष तक की जेल और/या 1 करोड़ रुपये तक का जुर्माना हो सकता है। सीएक्यूएम से जुड़े मामलों को निपटाने का अधिकार केवल राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण को है, सिविल अदालतों को नहीं।
- **श्रेणीबद्ध त्वरित कार्य योजना (Graded Rapid Action Plan-GRAP)**
  - पूरे एनसीआर के लिए जीआरएपी (ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान) के चरण-IV में उल्लिखित 8-सूत्रीय कार्य योजना, जिसे एनसीआर और डीपीसीसी की विभिन्न एजेंसियों और प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों द्वारा तुरंत लागू किया जाना है:
    - आवश्यक सामान ले जाने वाले और आवश्यक सेवाएं प्रदान करने वाले ट्रकों के साथ-साथ एलएनजी/सीएनजी/इलेक्ट्रिक ट्रकों को छोड़कर, दिल्ली में ट्रक यातायात के प्रवेश को प्रतिबंधित करना।
    - इलेक्ट्रिक वाहनों (ईवी), सीएनजी वाहनों और बीएस-VI डीजल वाहनों को छोड़कर, जो आवश्यक सामान ले जा रहे हैं या आवश्यक सेवाएं प्रदान कर रहे हैं, दिल्ली के बाहर पंजीकृत हल्के वाणिज्यिक वाहनों (एलसीवी) को शहर में प्रवेश करने की अनुमति नहीं देना।
    - आवश्यक सामान ले जाने वाले या आवश्यक सेवाएं प्रदान करने वाले वाहनों को छोड़कर, दिल्ली में पंजीकृत डीजल चालित मध्यम माल वाहन (एमजीवी) और भारी माल वाहन (एचजीवी) पर प्रतिबंध लगाना।
    - राजमार्ग, सड़क, फ्लाईओवर, ओवरब्रिज, पावर ट्रांसमिशन, पाइपलाइन आदि जैसी रैखिक सार्वजनिक परियोजनाओं में निर्माण और विध्वंस (सी एंड डी) गतिविधियों पर रोक लगाना।
    - छठी से नौवीं और ग्यारहवीं कक्षा के छात्रों के लिए ऑफलाइन कक्षाएं बंद करने पर विचार करना और इसके बजाय, ऑनलाइन सेवा उपलब्ध कराना।
    - एनसीआर में सार्वजनिक, नगरपालिका और निजी कार्यालयों को 50% क्षमता पर संचालित करने की अनुमति देना, शेष के लिए घर से काम करने की अनुमति देना।
    - केंद्र सरकार को यथासंभव अपने कर्मचारियों को घर से काम करने की अनुमति देना।
    - राज्य सरकारें अतिरिक्त आपातकालीन उपायों पर विचार कर सकती हैं, जैसे कि कॉलेजों और शैक्षणिक संस्थानों को बंद करना, साथ ही गैर-आवश्यक व्यावसायिक गतिविधियों को प्रतिबंधित करना और वाहन उपयोग के लिए एक सम-विषम वाहन पंजीकरण संख्या-आधारित प्रणाली लागू करना।

भारत-भूटान संबंध

संदर्भ: विगत, 5 नवंबर को, भूटान के राजा जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक (Jigme Khesar Namgyel Wangchuck) का नई दिल्ली पहुंचने पर स्वागत किया गया।

- **ऐतिहासिक संबंध**
  - भारत और भूटान के बीच सतत शांति और मित्रता की संधि पर 8 अगस्त, 1949 को हस्ताक्षर किए गए थे।
  - भारत के अंतिम गवर्नर-जनरल सी. राजगोपालाचारी ने इस संधि पर हस्ताक्षर किया था।
  - इस संधि पर हस्ताक्षर ब्रिटिश सरकार के शासन के बाद शांति और सहयोग बनाए रखने के लिए की गई थी।
  - इस संधि ने भारत को भूटान के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप किए बिना बाहरी संबंधों के मामलों में मार्गदर्शन करने की अनुमति दी।
  - भारत इस संधि पर हस्ताक्षर करने के एक वर्ष के भीतर भूटान को दीवानगिरी का क्षेत्र वापस करने पर सहमत हुआ।
  - भारत-भूटान मैत्री संधि पर 8 फरवरी, 2007 को नई दिल्ली में पुनः हस्ताक्षर किए गए थे।
  - दोनों सरकारों के बीच अनुसमर्थन दस्तावेजों के आदान-प्रदान के बाद यह आधिकारिक तौर पर 2 मार्च 2007 को प्रभावी हुआ।
  - इसके अतिरिक्त, भारत और भूटान अपने आर्थिक सहयोग को आगे बढ़ाने और विस्तारित करने के लिए प्रतिबद्ध हैं।
- **वर्तमान परिदृश्य**
  - **विकासात्मक सहयोग:**
    - भारत भूटान के सामाजिक-आर्थिक विकास के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करता है।
    - भारत ने भूटान में जलविद्युत परियोजनाओं के निर्माण का समर्थन किया है, जिसके परिणामस्वरूप भारत को अधिशेष बिजली निर्यात हुआ है।
  - **सांस्कृतिक संबंध:**
    - भूटानी तीर्थयात्री भारत में बौद्ध स्थलों का भ्रमण करने आते रहते हैं।

Face to Face Centres
DELHI MUKHERJEE NAGAR: 9205274741, 42 | LAXMI NAGAR : 9205212500, 9205962002 | RAJENDRA NAGAR: 9205274743 | UTTAR PRADESH PRAYAGRAJ: 0532-2260189, 8853467068 | LUCKNOW (ALIGANJ): 0522-4025825, 9506256789 | LUCKNOW (GOMTI NAGAR): 7234000501, 7234000502 | GREATER NOIDA: 9205336037, 38 | KANPUR: 7887003962, 7897003962 | GORAKHPUR : 7080847474, 9161947474 | ODISHA BHUBANESWAR: 9818244644/7656949029
dhyeyaias.com

- भारत ने अपने शांतिपूर्ण राजनयिक संबंधों का जश्न मनाने के लिए भूटानी बौद्ध भिक्षुओं की यात्रा को प्रायोजित किया है।
- भारत ने भूटान को भगवान बुद्ध की 3 फुट की कांस्य प्रतिमा उपहार में दी थी।
- भूटान और भारत मुख्य रूप से बौद्ध राष्ट्र के रूप में मजबूत सांस्कृतिक संबंध साझा करते हैं।
- भारत ने भूटान को उसकी सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करने में सहायता की है।

- **सैन्य सहयोग:**
  - भारत भूटान को बाहरी खतरों से सुरक्षा प्रदान करता है।
  - भूटान की रक्षा भारतीय सेना और वायु सेना की पूर्वी कमान की जिम्मेदारियों में एकीकृत है।
  - भारतीय सैन्य प्रशिक्षण दल भूटानी सुरक्षा कर्मियों को प्रशिक्षित करते हैं।
- **शिक्षा:**
  - भूटानी छात्रों को विभिन्न योजनाओं के माध्यम से भारतीय विश्वविद्यालयों में अध्ययन करने के लिए छात्रवृत्ति मिलती है।
- **सामरिक महत्व:**
  - एक बफर राज्य के रूप में भूटान की रणनीतिक स्थिति भारत के सुरक्षा हितों के लिए महत्वपूर्ण है।
  - रक्षा, बुनियादी ढांचे और संचार में भारत की सहायता भूटान की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता सुनिश्चित करती है।
  - भारत ने भूटान के सीमावर्ती बुनियादी ढांचे के निर्माण में मदद की है।
- **आर्थिक महत्व:**
  - भारत भूटान का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार और भूटान के निर्यात का एक प्रमुख गंतव्य है।
  - भारत भूटान की जलविद्युत परियोजनाओं का समर्थन करता है, जो भूटान के राजस्व में महत्वपूर्ण योगदान देता है।
  - भारत भूटान की विकास परियोजनाओं के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करता है।
- **पर्यावरणीय महत्व:**
  - कार्बन तटस्थता के प्रति भूटान की प्रतिबद्धता को नवीकरणीय ऊर्जा, वन संरक्षण और टिकाऊ पर्यटन जैसे क्षेत्रों में भारत का समर्थन प्राप्त है।

घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम, 2005

सन्दर्भ: सुप्रीम कोर्ट यह तय करेगा कि क्या एक ट्रांस महिला पोस्ट-सेक्स रीअसाइनमेंट सर्जरी घरेलू हिंसा अधिनियम, 2005 की धारा 2 (ए) के तहत 'पीड़ित व्यक्ति' के रूप में योग्य है या नहीं।

- अदालत इस बात पर विचार करेगी कि क्या लिंग परिवर्तन सर्जरी कराने वाली ट्रांस महिला को घरेलू हिंसा अधिनियम, 2005 की धारा 2 (ए) के तहत "पीड़ित व्यक्ति" के रूप में परिभाषित किया जा सकता है।
- यह मामला बॉम्बे हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ ट्रांस महिला के पति की अपील से उभरा है, जिसमें उस व्यक्ति को अधिनियम के तहत एक पीड़ित व्यक्ति माना गया था जो अपने लिंग की पहचान स्वयं करता है।
- **घरेलू हिंसा:**
  - घरेलू हिंसा में, किसी रिश्ते में एक वयस्क द्वारा दूसरे को नियंत्रित करने के लिए शक्ति का दुरुपयोग शामिल है।
  - यह दुर्व्यवहार के विभिन्न रूपों के माध्यम से रिश्ते में नियंत्रण और भय की भावना को उजागर करता है।
  - घरेलू हिंसा शारीरिक उत्पीड़न, मनोवैज्ञानिक दुर्व्यवहार, सामाजिक शोषण, वित्तीय शोषण या यौन उत्पीड़न के रूप में प्रकट हो सकती है।
  - घरेलू हिंसा की आवृत्ति अलग-अलग हो सकती है, यह कभी-कभार या लगातार भी होती रहती है।
- **अधिनियम के तहत घरेलू हिंसा के प्रकार:**
  - **शारीरिक शोषण**, जिसमें कोई भी वैसा कार्य या आचरण शामिल होता है जिससे शारीरिक दर्द, हानि, जीवन, अंग या स्वास्थ्य को खतरा होता है, या पीड़ित व्यक्ति के स्वास्थ्य या विकास को नुकसान पहुंचता है। इसमें हमला, आपराधिक धमकी और आपराधिक बल शामिल है।
  - **यौन शोषण** में यौन प्रकृति का कोई भी आचरण शामिल होता है जो किसी महिला के साथ दुर्व्यवहार, अपमान, अपमान या उसकी गरिमा का उल्लंघन करता है।
  - **मौखिक और भावनात्मक दुर्व्यवहार** में अपमान, उपहास, अपमानित करना, अभद्र तरीके से नाम-पुकारना और शारीरिक पीड़ा पहुंचाने की धमकियां आदि शामिल हैं, विशेष रूप से बच्चे या पुरुष संतान न होने के संदर्भ में।
  - **आर्थिक दुर्व्यवहार** में महिला और उसके बच्चों के लिए वित्तीय सहायता रोकना, भोजन, कपड़े और दवाओं जैसे आवश्यक प्रावधानों से इन्कार करना, आर्थिक या वित्तीय संसाधनों तक पहुंच को प्रतिबंधित करना, महिला को घर से निकालना और उसके रोजगार में बाधा डालना जैसी गतिविधियां शामिल हैं।
- **पीड़ित व्यक्ति:**
  - घरेलू हिंसा अधिनियम, 2005 की धारा 2 (ए) के अनुसार, एक "पीड़ित व्यक्ति" को किसी भी वैसी महिला के रूप में परिभाषित किया गया है जो प्रतिवादी के साथ घरेलू संबंध में है या रही है; और जो आरोप लगाती है कि उसके साथ प्रतिवादी द्वारा घरेलू हिंसा की गई है।
  - अधिनियम की धारा 2(एफ) के अनुसार, "घरेलू संबंध", दो व्यक्तियों के बीच का रिश्ता है जो एक साझा घर में एक साथ रहते हैं, चाहे वह सजातीयता, विवाह, विवाह जैसे रिश्ते, गोद लेने या परिवार के रूप में संबंधित हो। सदस्य संयुक्त परिवार के रूप में एक साथ रहते हैं।

➢ **अधिनियम की मुख्य विशेषताएं:**

- घरेलू हिंसा से महिलाओं की सुरक्षा अधिनियम, 2005 (पीडब्ल्यूडीवीए) की प्रमुख विशेषताएं घरेलू हिंसा का सामना करने वाली महिलाओं का समर्थन करना है।
- PWDVA महिलाओं के लिए कानूनी सहायता और सहायता सेवाओं की आवश्यकता को स्वीकार करता है और सुरक्षा अधिकारियों की नियुक्ति और चिकित्सा, आश्रय, कानूनी, परामर्श और अन्य प्रकार की सहायता प्रदान करने वाले सेवा प्रदाताओं की भूमिका की अनुमति देता है।
- इस अधिनियम के तहत एक संरक्षण अधिकारी इन सेवाओं तक पहुँचने और अधिनियम के तहत उचित आदेश प्राप्त करने में महिला की सहायता करता है।
- संरक्षण अधिकारी मानविकी या कानून में स्नातकोत्तर डिग्री वाले सरकारी कर्मचारी या सामाजिक कार्यकर्ता हो सकते हैं। प्रत्येक न्यायिक मजिस्ट्रेट के अधिकार क्षेत्र में एकाधिक सुरक्षा अधिकारी नियुक्त किए जाते हैं।
- यह अधिनियम अस्थायी और आपातकालीन राहत प्रदान करता है और महिलाओं की जरूरतों के प्रति उत्तरदायी है। इसमें नागरिक और आपराधिक कानून दोनों के तत्व शामिल हैं, जिसमें सुरक्षा आदेशों या मजिस्ट्रेट के आदेशों का उल्लंघन आपराधिक कानून के अंतर्गत आता है।
- इस सन्दर्भ में आश्रय गृह और चिकित्सा सुविधाएं पीड़ित व्यक्ति को आश्रय और चिकित्सा सहायता प्रदान करने के लिए कानूनी रूप से बाध्य हैं।
- PWDVA पारिवारिक मामलों पर मौजूदा व्यक्तिगत कानून व्यवस्था में बदलाव नहीं करता है, लेकिन आपात स्थिति के दौरान महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए अतिरिक्त राहत प्रदान करता है।
- महिलाएं PWDVA के तहत राहत प्राप्त करने के बाद भी अन्य कानूनों के तहत राहत मांग सकती हैं।
- अधिनियम में घरेलू घटना रिपोर्ट के प्रावधान शामिल हैं, जो महत्वपूर्ण साक्ष्य रिकॉर्ड के रूप में काम करते हैं।
- यह अधिनियम के तहत आदेशों के लिए आवेदन करने की प्रक्रिया की रूपरेखा बताता है।
- प्राप्त आदेश का उल्लंघन अधिनियम के तहत एक आपराधिक अपराध माना जाता है।

NEWS IN BETWEEN THE LINES

कोराई घास

कोराई घास के बारे में:

➢ कोराई घास को वैज्ञानिक रूप से **"साइपरस पैंगोरेई"** के नाम से जाना जाता है।
➢ इसकी खेती मुख्य रूप से भारत के **तमिलनाडु** के करूर जिले में की जाती है।
➢ कोराई घास तमिलनाडु में **कावेरी नदी** के किनारे उगाई जाती है।
➢ घास की कटाई तब की जाती है जब वह अपनी पूरी ऊंचाई पर पहुंच जाती है और यह एक श्रम-केंद्रित प्रक्रिया है।
➢ कोराई घास का उपयोग चटाई बनाने के पारंपरिक शिल्प में किया जाता है, विशेष रूप से पुआल की चटाई जिसे **"कोराई पाई"** के नाम से जाना जाता है।
➢ बुनकर कटी हुई कोराई घास का उपयोग चटाई बनाने और उन्हें विभिन्न रंगों में रंगने के लिए करते हैं।
➢ एलोवेरा पौधे के रेशों का उपयोग पारंपरिक रूप से चटाइयों को बांधने के लिए किया जाता है।
➢ कोराई घास से बनी चटाइयाँ गर्मियों में ठंडी और सर्दियों में गर्म होने के लिए जानी जाती हैं, जिससे वे विभिन्न मौसमों के लिए एक लोकप्रिय विकल्प बन जाती हैं।

टेल्यूरियम

हाल ही में, एक महत्वपूर्ण खोज में, भौतिकविदों को इस बात के प्रमाण मिले हैं कि न्यूट्रॉन स्टार विलय में टेल्यूरियम का उत्पादन होता है।

टेल्यूरियम के बारे में:

➢ टेल्यूरियम एक अर्ध-धात्विक, चमकदार, क्रिस्टलीय, भंगुर, चांदी-सफेद तत्व है जो धातु और अधातु दोनों के गुणों को प्रदर्शित करता है।
➢ इसकी पहचान इसके परमाणु क्रमांक से होती है, जो 52 है।
➢ यह सल्फर और सेलेनियम के समान विभिन्न यौगिक बनाता है।
➢ यह अर्धचालक पदार्थ के रूप में कार्य करता है और इसमें हल्की प्रकाश संवेदनशीलता होती है।
➢ इसकी अनूठी विशेषताओं में से एक सोने (एयू) के साथ संयोजन करने की इसकी तत्परता है।
➢ आमतौर पर, इसे धातुओं के साथ खोजा जाता है, जैसे कि कैलावेराइट (गोल्ड टेलुराइड, AuTe2) और सिल्वेनाइट (सिल्वर-गोल्ड टेलुराइड) जैसे खनिजों में।

अनुप्रयोग:

➢ इस उपयोग तांबे और स्टेनलेस स्टील के साथ मिश्रित करके उनके कार्यशीलता को बढ़ाने के लिए किया जाता है।
➢ इसे सीसा में न्यूनतम मात्रा में मिलाया जाता है।
➢ इसका उपयोग इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग में किया जाता है।
➢ इसे रबर वल्केनाइजेशन, पेट्रोलियम क्रैकिंग कैटलिस्ट और विस्फोटक के लिए ब्लास्टिंग कैप में उपयोग किया जाता है।

बलबन का मकबरा

हाल ही में, मेहरौली के पुरातात्विक पार्क में स्थित, मूल रूप से 13 वीं शताब्दी में बने बलबन के मकबरे का व्यापक जीर्णोद्धार के बाद अनावरण किया गया।

के बारे में:

- बलबन का मकबरा महरौली, नई दिल्ली, भारत में स्थित एक मूल्यवान ऐतिहासिक स्थल है, जिसका निर्माण वर्ष 1287 ई. में हुआ था।
- बलबन की कब्र की खोज 20वीं सदी के मध्य में की गई थी।
- इस मकबरे ने इंडो-इस्लामिक वास्तुकला के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।
- यहीं पर पहला इस्लामिक मेहराब और संभवतः भारत में पहला इस्लामिक गुंबद बनाए गया गया था।
- हालाँकि यह गुंबद नष्ट हो चुका है, लेकिन 1311 ईस्वी में निर्मित पास के अलाई दरवाज़ा में भारत का सबसे पुराना गुंबद है।
- मामलुक (गुलाम) वंश का सुल्तान गियास-उद-दीन बलबन, दिल्ली सल्तनत शक्तिशाली शासक था।
- उन्होंने 1266 ई. से 1287 ई. तक शासन किया।
- बलबन को इल्तुतमिश ने एक गुलाम के रूप में खरीदा था लेकिन बाद में उसे रिहा कर दिया गया। इसने 'रक्त और लौह' की नीति अपनाई थी।

यूरोपीय संघ

हाल ही में, यूरोपीय संघ ने बताया कि दादिया (यूनान/ग्रीस) की आग यूरोप के दर्ज इतिहास की सबसे बड़ी जंगल की आग बन गई है।

यूरोपीय संघ के बारे में:

- यूरोपीय संघ (ईयू) 27 यूरोपीय देशों का एक राजनीतिक और आर्थिक संघ है।
- 19 यूरोपीय संघ के सदस्य देश यूरो (€) को अपनी आधिकारिक मुद्रा के रूप में उपयोग करते हैं, जबकि 8 देश यूरो का उपयोग नहीं करते हैं।
- यह सामान्य विदेश और सुरक्षा नीति के माध्यम से बाहरी संबंधों और रक्षा में भूमिका निभाता है।
- यह दुनिया भर में राजनयिक मिशनों का संचालन करता है और संयुक्त राष्ट्र, डब्ल्यूटीओ, जी7 और जी20 जैसे अंतरराष्ट्रीय संगठनों में भाग लेता है।
- यूरोपीय संघ को आधिकारिक तौर पर 1993 में मास्ट्रिच संधि के साथ स्थापित किया गया था, जिसने 2009 में लिस्बन की संधि के साथ पूर्ण कानूनी स्थिति प्राप्त की।
- यूरोपीय संघ का गठन द्वितीय विश्व युद्ध के बाद भविष्य में होने वाले संघर्षों को रोकने के लिए यूरोप में शांति और एकता को बढ़ावा देने के लिए किया गया था।
- यूरोप में शांति, सुलह, लोकतंत्र और मानवाधिकारों में योगदान के लिए यूरोपीय संघ को 2012 में नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया।

सम्राट अलेक्जेंडर III

हाल ही में, 5 नवंबर, 2023 को रूस ने व्हाइट सी में अपनी नई परमाणु-संचालित पनडुब्बी इम्पीरेटर अलेक्जेंडर III से बुलावा बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण किया।

सम्राट अलेक्जेंडर III के बारे में:

- इम्पेरेटर अलेक्जेंडर III बोरेई श्रेणी के रणनीतिक-मिसाइल क्रूजर का हिस्सा है।
- पनडुब्बी 16 बुलावा मिसाइलों (**Bulava missiles**)से सुसज्जित है, जो एक अंतरमहाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल है जिसे परमाणु हथियार ले जाने के लिए डिज़ाइन किया गया है।
- अपने मिसाइल शस्त्रागार के अलावा, इम्पीरेटर अलेक्जेंडर III आधुनिक टारपीडो हथियारों से सुसज्जित है।

बुलावा मिसाइल के बारे में:

- बुलावा मिसाइल रूस द्वारा विकसित एक अंतरमहाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल (आईसीबीएम) है।
- इसे कई परमाणु हथियार ले जाने के लिए डिज़ाइन किया गया है।
- बुलावा मिसाइल की अनुमानित सीमा लगभग 8,000 किलोमीटर है।
- इसमें छह परमाणु हथियार ले जाने की क्षमता है।
- बुलावा मिसाइल रूस के परमाणु त्रय के नौसैनिक घटक में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।

वोल्बाचिया बैक्टीरिया

वोल्बाचिया (Wolbachia Bacteria) बैक्टीरिया के बारे में:

- वोल्बाचिया बैक्टीरिया की एक प्रजाति है जो विभिन्न कीड़ों के साथ अपनी जटिल संबंधों के लिए जाना जाता है।
- इसकी पहचान 1924 में अमेरिकी रोगविज्ञानी शिमोन बर्ट वोल्बैक और मार्शल हर्टिंग ने की थी।
- वोल्बाचिया बैक्टीरिया से संक्रमित नर क्यूलेक्स मच्छर मादाओं के स्वस्थ अंडों को निषेचित करने में असमर्थ होते हैं।
- असंक्रमित मादा मच्छरों के मामले में, उनकी अंडाणु कोशिकाएं क्षतिग्रस्त हो जाती हैं।
- जैसे-जैसे वोल्बाचिया की आबादी बढ़ती है, संक्रमित मादा मच्छरों को समय के साथ प्रजनन लाभ मिलता है।
- संक्रमित मादाओं के अंडे तब व्यवहार्य होते हैं जब नर या तो असंक्रमित होते हैं या वोल्बाचिया के उसी प्रकार से संक्रमित होते हैं।
- वोल्बाचिया संक्रमित मच्छरों में चिकनगुनिया और पीले बुखार के वायरस की गुणन दर को कम कर सकता है।
- कुछ वोल्बाचिया प्रजातियाँ मलेरिया परजीवी के खिलाफ विशिष्ट मच्छर प्रजातियों को मजबूत सुरक्षा प्रदान करती हैं।

मृत सागर

ईरान समर्थित 'इस्लामिक रेसिस्टेंस इन इराक' (**'Islamic Resistance in Iraq'**) ने हाल ही में मृत सागर तट पर स्थित एक इजरायली प्रतिष्ठान को निशाना बनाकर किए गए हमले की जिम्मेदारी ली है।

मृत सागर के बारे में:

- मृत सागर, जिसे नमक सागर के नाम से भी जाना जाता है, एक नमक झील है जो पूर्व में जॉर्डन और पश्चिम में इज़राइल के बीच स्थित है।
- इसके पश्चिमी तट का दक्षिणी आधा हिस्सा इज़राइल का है, जबकि उत्तरी आधा हिस्सा वेस्ट बैंक में स्थित है, जो एक विवादित क्षेत्र है जिस पर इज़राइल और फिलिस्तीन दोनों दावा करते हैं।
- यह भूमध्य सागर के पूर्व में और गलील सागर के दक्षिण में स्थित है।
- मृत सागर जॉर्डन रिफ्ट घाटी का हिस्सा है और मुख्य रूप से जॉर्डन नदी से पोषित होता है, जो उत्तर में बहती है।
- मृत सागर की लवणता लगभग 34.2% है, जो इसे पृथ्वी पर सबसे नमकीन जलाशयों में से एक बनाती है।
- यह अधिकांश जल निकायों की तुलना में उल्लेखनीय रूप से अधिक खारा है, कुछ स्थानों जैसे अंटार्कटिका में वांडा झील, जिबूती में असल झील, कैस्पियन सागर में लैगून गारबोगाज़कोल और अंटार्कटिका की मैकमुर्डो सूखी घाटियों में कुछ अत्यधिक खारे तालाबों और झीलों में लवणता और भी अधिक बताई गई है।
- अपनी उच्च लवणता के कारण, मृत सागर के समुद्री जल का घनत्व 1.240 किलोग्राम/लीटर है, जिससे पानी में प्रवेश करने वाला कोई भी व्यक्ति आसानी से तैर सकता है, जिससे तैराकी का एक अनूठा अनुभव मिलता है।

समाचारों में स्थान

बहरीन

हाल ही में, गैलापागोस द्वीप समूह के पास प्राचीन मूंगा चट्टानों की खोज की गई, जिससे प्रचुर समुद्री जीवन से भरी दुनिया का पता चला।

भौगोलिक स्थिति: गैलापागोस द्वीप समूह पूर्वी प्रशांत महासागर में, दक्षिण अमेरिकी महाद्वीप से लगभग 900 किमी (560 मील) पश्चिम में स्थित है।

राजनीतिक विभाजन: प्रांत को सैन क्रिस्टोबल, सांता क्रूज़ और इसाबेला की छावनियों में विभाजित किया गया है, जो श्रृंखला में तीन सबसे अधिक आबादी वाले द्वीप हैं।

भौगोलिक विशेषताएं:

- गैलापागोस में 19 मुख्य द्वीप (13 बड़े और 6 छोटे) शामिल हैं, जिनमें इसाबेला, एस्पानोला, सांता क्रूज़, सैन क्रिस्टोबल और अन्य शामिल हैं।
- मुख्य द्वीपों के आसपास कई छोटे टापू, चट्टानें और चट्टानें हैं, जिन्हें मानचित्रण उद्देश्यों के लिए नोट करना आवश्यक है।
- भूमध्य रेखा द्वीपों से होकर गुजरती है।
- द्वीप लावा के ढेर से बने हैं और ढाल वाले ज्वालामुखियों से युक्त हैं, जिनमें से कुछ समय-समय पर सक्रिय रहते हैं।
- इसका सबसे बड़ा द्वीप इसाबेला है।
- उच्चतम बिंदु वुल्फ ज्वालामुखी का शिखर (इसाबेला द्वीप पर) है।

POINTS TO PONDER

- किस फुटबॉलर खिलाड़ी ने सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का बैलन डी'ओर पुरस्कार जीता है? - **लियोनेल मेसी**
- किस संगठन ने एक रिपोर्ट जारी की, जिसमें कहा गया है कि भारतीय किसानों को 2022 में निर्यात उपायों के कारण $169 बिलियन के निहित कर का सामना करना पड़ा? - **ओईसीडी**
- "बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ" को बढ़ावा देने के लिए किस टीवी चैनल ने महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के साथ मिलकर काम किया है? - **कलर्स (Colors)**
- किस यूरोपीय देश ने 2024 से अपनी 'गोल्डन वीज़ा पहल' को बंद करने की घोषणा की? - **नीदरलैंड**
- कौन सा देश 'इंटीग्रल फील्ड अल्ट्रावॉयलेट स्पेक्ट्रोस्कोप एक्सपेरिमेंट (INFUSE)' से जुड़ा है? - **यूएसए**